

विधिवत नोटरीकृत 100/- रुपये के गैर-न्यायिक स्टैम्प पेपर पर जमा करना होगा

वचनबंध

1. कि चाय (विपणन) नियंत्रण आदेश, 2003 के अनुच्छेद 2ए के तहत एक निर्माता जो एक चाय कारखाना स्थापित करना चाहता है, उसे पंजीकरण प्राधिकारी से 'अनापत्ति प्रमाणपत्र' प्राप्त करना होगा।
2. कि चाय (विपणन) नियंत्रण आदेश, 2003 के पैरा 3ए के तहत एक निर्माता जो मौजूदा चाय कारखाने की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने का इरादा रखता है, उसे पंजीकरण प्राधिकरण से 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' प्राप्त करना होगा।
3. कि चाय (विपणन) नियंत्रण आदेश, 2003 के अनुच्छेद 3ए(1) के तहत, कोई भी निर्माता अपने स्वामित्व वाली या नियंत्रित प्रत्येक ऐसी फैक्ट्री के संबंध में वैध पंजीकरण के अलावा चाय विनिर्माण की गतिविधियों को नहीं करेगा।
4. कि चाय (विपणन) नियंत्रण आदेश, 2003 के अनुच्छेद 3ए (2) के तहत बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने और कारखाने की क्षमता वृद्धि के पूरे होने के पश्चात, पंजीकृत निर्माता को विस्तारित कारखाने के पंजीकरण को बदलने के लिए फॉर्म "ए" में आवेदन करना होगा।
5. कि, मैसर्स..... पर.... आवेदन के माध्यम से नई विनिर्माण इकाई की स्थापना के लिए नई त्वरित योजना दिशानिर्देश के तहत मौजूदा चाय कारखाने में नई चाय फैक्ट्री की स्थापना/मौजूदा चाय उत्पादन क्षमता में वृद्धि के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए ऑनलाइन के माध्यम से आशय की अभिव्यक्ति (ईओआई) प्रस्तुत की यथा संदर्भ सं..... दिनांक की प्रस्तावित स्थापित क्षमता के साथ किलोग्राम प्रति वर्ष (नए कारखाने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र के मामले में)/.....किग्रा सेकिग्रा. प्रतिवर्ष (क्षमता वृद्धि के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र के मामले में)।
6. कि, बोर्ड की अधिसूचना संख्या 12(17)/एलसी/2008/भाग-III दिनांक 04.01.2022 के अनुसार, केंद्र/राज्य की किसी भी योजना के तहत मेसर्स द्वारा एक नया कारखाना स्थापित करने या मौजूदा विनिर्माण इकाई की क्षमता के विस्तार के लिए कोई वित्तीय सहायता नहीं ली जाएगी यदि नई चाय फैक्ट्री की स्थापना/मौजूदा चाय में निर्मित चाय उत्पादन क्षमता में वृद्धि के लिए त्वरित योजना दिशानिर्देशों के तहत एनओसी प्राप्त करने के लिए आवेदन किया गया है।
7. अब, तदनुसार, मेसर्स सहमत हैं और जैसा कि क्रमांक सं 6 एवं बोर्ड अधिसूचना संख्या 12(17)/एलसी/2008/भाग-III दिनांक 04.01.2022 के अनुसार नए चाय कारखाने की स्थापना/मौजूदा चाय का कारखाना में तैयार चाय उत्पादन क्षमता में वृद्धि के लिए त्वरित योजना दिशानिर्देशों के तहत अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता का लाभ नहीं उठाने का वचन देते हैं। यदि बोर्ड द्वारा जारी किए गए किसी भी निर्देश और उनके द्वारा किए गए दावों का पालन करने में विफल रहता है, तो बोर्ड मैसर्स.....के खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकता है चाय (विपणन) नियंत्रण आदेश, 2003 और चाय अधिनियम, 1953 के प्रावधान के तहत पंजीकरण प्रमाण पत्र के निलंबन / रद्द कर सकता है।

दिनांक:

स्थान:

हस्ताक्षर

(मुहर के साथ निदेशक/मालिक/साझेदार का नाम)